न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	06/25	2025/167	04.06.2025	सरकार बनाम भरतलाल सैनी	26.02.2026	1 लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/2025 (2025/167)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। – आवेदक

बनाम

1. श्री भरतलाल सैनी पुत्र श्री ठण्डी माली (प्रोपराईटर) मैसर्स भरतलाल सैनी मिष्ठान भण्डार मैन रोड वजीरपुर गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर मो० 9024173341 – अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 26.02.2026

प्रकरण में तथ्या इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहा अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 25.10.2024 को साय 6.00 पी एम पर मैसर्स भरतलाल सैनी मिष्ठान भण्डार सवाईमाधोपुर पर पहुंचा जिसको उन्होने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम भरतलाल सैनी पुत्र श्री ठण्डी माली होना बताया। उक्त सस्थान का निरीक्षण करने पाया कि आम जनता को माबा मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) विक्रय हेतु रखी हुई थी उक्त माबा मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह वास्ते नमुना जॉच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 400/– रुपये विक्रेता श्री भरतलाल सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राजपाल सैनी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिह ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम मावा मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) को चार नयी खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर डाला एव प्रत्येक बोतल में फॉरमलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों को ढक्कन गाकर ऐवरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एन एच 3515 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर [illegible] विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। बारों नमूना भागों को अलग–2 [illegible] कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न एच 3515 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बाध कर नियमानुसार सील चमडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के इस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने मौके पर फार्म स 5ए की प्रतियों एवं कर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं मवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री भरतलाल सैनी ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स 5ए की एक प्रति श्री भरतलाल सैनी को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म स 5ए एवं फर्ट रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न छ की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर यह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील गोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। दो फॉर्म स 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म स 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्ट नमूना भाग गय फार्म स 6 की दो प्रतियों के आउटर कबर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

. यह कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को अभिहित अधिकारी एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमाक एफएसएसए/2024/1217 दिनाक 06.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट स एलएस/4747/एक्ट / 2024/4550 दिनाक 25.11.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) **Substandard & Extraneous** प्रकृति का होना पाया गया है, साथ ही खाद्य सु रक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अर्न्तगत जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ मावा मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) **Substandard & Extraneous** प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई [illegible] सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है इस तरह उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:44 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट स एलएस/4747/एक्ट / 2024/4550 दिनाक 25.11.2025 निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY

JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-VII A

Test Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

NABL TC8346

अतिरिक्त अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

Report No. L.S./4747 / Act /.2024 / 4550 Date: 25-11-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006). for Rajasthan state received from, Sh. Virendrr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of **"Mawa Mithai made from Milk and Sugar"** bearing Code number and Serial number H-3515 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 28-10-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be **"Mawa Mithai made from Milk and Sugar"** falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 20-11-2024 to 25-11-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report :-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.

(2) Physical appearance : Creamish coloured soft solid material.

Sl. No.	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Test for added Starch.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.2:2016	Negative	Negative
2.	Test for added Sugar.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.1:2016	Positive.	Positive
3.	Test for added Urea.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.4:2016	Negative	Negative
4.	Test for Neutralizer	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO.1.2.11:2016	Negative	Negative
5.	Test for Saccharin.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 3.2:2016	Negative	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
6.	Added synthetic colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016	Absent	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
7.	B.R. Reading of extracted fat at 40.0° C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.3:2016	62.0	40.0 to 44.0

The value obtained under parameter Butyro Refractometer reading at 40.0°C of extracted fat indicates that the Milk Fat of the product has been substituted by foreign fat.

Opinion-The sample of "Mawa Mithai made from Milk and Sugar" bearing Code No. and Sr. No.H-3515 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-Standard as the extracted fat does not conform to the standards of Milk Fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006.

Signed this 25th day of November 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

End of Report

Note : The results relate only to the item tested.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया मावा मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) **Substandard & Extraneous** प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्त को खाद्य पदार्थ मावा मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित) **Substandard & Extraneous** का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे–दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं0 1 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तससमामील तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested